न्यायालय – विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

उपस्थित – **विजय कुमार आजाद**, "एच०जे०एस०"
पी०एस०टी० सं०–0000513/2014
सी०एन०आर० संख्या–UPFD01–006717–2019

उत्तर प्रदेश राज्य। ------------ अभियोजक।

बनाम

संजीत उर्फ संजीव कुमार पुत्र केदार सिंह, निवासी गाँव गढ़ी हर्राय, थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद। ------------ अभियुक्त।

मु०अ०सं०–**65/2014**
धारा–**354 क** भा०दं०सं० व
धारा–**7/8** पोक्सो एक्ट।
थाना–पचोखरा, जिला फिरोजाबाद।

–: निर्णय :–

1– अभियुक्त संजीत उर्फ संजीव कुमार के विरूद्ध थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं०–65/2014, धारा–354क भा०दं०सं० व धारा–7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप–पत्र प्रदर्श क–8 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–33(7) में विशेष न्यायालय को यह आदेशित किया गया है कि वह अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान को प्रकट नहीं करेगा। उक्त धारा के आलोक में पीड़िता का नाम न लिखकर निर्णय में उसको **(एन)** शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2– संक्षेप में लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी नरेन्द्र कुमार, बाग का गांव, थाना विजयगढ़, जिला अलीगढ़ का निवासी है। उसकी पुत्री/पीड़िता **(एन),** करीब एक हफ्ता पहले उसके साढू राजाराम पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी गढ़ी हर्राय, थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद के घर में आयी थी। दिनांक 27–03–2014 को समय करीब 4.00 बजे शाम वादी की पुत्री/पीड़िता **(एन),** उम्र करीब 10 वर्ष घर पर अकेली थी, उसी समय वादी के गांव का लड़का संजीत कुमार पुत्र केदार सिंह, निवासी गढ़ी हर्राय, थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद आया आैर वादी की पुत्री/पीड़िता **(एन)** से छेड़छाड़ करने लगा। वादी की पुत्री/पीड़िता **(एन)** चिल्लार्इ। आवाज सुनकर आस–पास के लोग व महिलाआें को आता देखकर संजीत वादी की पुत्री/पीड़िता **(एन)** को छोड़कर भाग गया।

3– वादी नरेन्द्र कुमार द्वारा दी गयी लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद में मु०अ०सं०–65/2014, धारा 354क भा०दं०सं० व 7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त संजीव कुमार के विरूद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क–4 में किया गया।

4– मामले की विवेचना सेवानिवृत्त एस०आई० यादराम सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा गवाहों के बयान अंकित किये गये, नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 बनाया गया। तत्पश्चात विवेचना एस०आई० देवेन्द्र कुमार द्वारा की गयी और सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात अभियुक्त संजीत उर्फ संजीव कुमार के विरूद्ध धारा–354क भा०दं०सं० व धारा–7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रदर्श क–8 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5– अभियुक्त को विचारण के लिए आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान की गयीं।

6– अभियुक्त संजीत उर्फ संजीव कुमार की उपस्थिति में दिनांक 26–08–2014 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, फिरोजाबाद के पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा–354क भा०दं०सं० व धारा–7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण की माँग की गयी। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

7– अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये –

अभियोजन साक्षी	***साक्षी का नाम***	***साबित किये गये प्रदर्श***
पी०डब्लू०–1	***नरेन्द्र कुमार (वादी)***	*तहरीर प्रदर्श क–1*
पी०डब्लू०–2	***पीड़िता (एन)***	*बयान धारा–164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क–2*
पी०डब्लू०–3	***श्रीमती मीरा देवी***	*–*
पी०डब्लू०–4	***एच०सी०पी० सावित्री पाण्डेय (सेवानिवृत्त)***	*प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3, जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क–4*
पी०डब्लू०–5	***डा० जूही वार्ष्णेय***	*मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–5, पूरक मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–6*

पी०डब्लू०–6	***उ०नि० यादराम सिंह (प्रथम विवेचक)***	*नक्शा नजरी प्रदर्श क–7*
पी०डब्लू०–7	***उ०नि० देवेन्द्र कुमार (द्वितीय विवेचक)***	*आरोप–पत्र प्रदर्श क–8*
पी०डब्लू०–8	***डा० शशिकान्त गुप्ता***	*एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–9*

8– **पी०डब्ल्यू०–1 वादी नरेन्द्र कुमार** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि घटना के समय उसकी पुत्री की उम्र 10 वर्ष थी। राजाराम उसका साढू है, जो गढ़ी हर्राय, थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद में रहते हैं। घटना से **एक सप्ताह पूर्व** उसकी बेटी उसके साढू के घर गढ़ी हर्राय आयी थी। घटना दिनांक 27–03–2014 समय करीब 4:00 बजे शाम की है। उसकी पुत्री साढू के घर अकेली थी। शाम 4:00 बजे गढ़ी हर्राय का लड़का संजीत कुमार उर्फ संजीव कुमार आया और उसकी पुत्री से बीड़ी का बण्डल मंगाया। जब उसकी पुत्री बण्डल लेकर आयी, तो वह लड़का बाहर नहीं मिला, कमरे में छिप गया था। जब उसकी पुत्री कमरे के अन्दर गयी, तो उसने अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया और उसकी पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा। जब उसकी पुत्री ने शोर मचाया तो **आस–पास के लोग** तथा **पड़ोस की महिला** आ गयी, जिनको देखकर संजीत उसकी पुत्री को छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना उसे उसके साढू राजाराम ने उसे फोन द्वारा दी थी। वह दूसरे दिन गढ़ी हर्राय आया और घटना के बारे में सारी जानकारी मिली। उसने एक तहरीर राजाराम से लिखवाकर थाने पर दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह द्वारा अपने सशपथ बयान में लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया गया।

9– **पी०डब्ल्यू०–2 पीड़िता (एन)** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि घटना की तारीख याद नहीं है, लेकिन घटना को लगभग साढ़े तीन साल से कम का समय हो गया है। घटना के समय उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। गढ़ी हर्राय में उसकी मौसी है। वह अपनी मौसी के यहां आयी थी। उसके साथ संजीत ने घटना कारित की थी। संजीत ने उससे कहा कि उसके लिए एक बण्डल माचिस लेकर आओ। वह उस समय अपनी मौसी के घर थी। वह संजीत के कहने पर बण्डल माचिस लेने गयी थी। जब वह बण्डल माचिस लेकर आयी तो वहां पर संजीत उसे नहीं मिला। वह उस बण्डल को रखने मौसी के कमरे में चली गयी। उसे यह मालूम नहीं था कि संजीत कमरे में गेट के पीछे छिपा है। संजीत ने कमरे का दरवाजा बन्द कर लिया था। उस समय उसकी मौसी के घर पर कोई नहीं था। **संजीत ने उसके कपड़े तथा अपने कपड़े उतारे थे। उसने उसके साथ छेड़खानी की तथा उसे जमीन पर गिराकर उसके साथ गलत**

काम किया था। उसने चिल्लाने की कोशिश की थी, तो उसने रजाई से मुँह बन्द कर दिया था। बाद में उसने शोर मचाया था। तब पड़ोस के लोगों ने आकर उसे बचाया था और संजीत को एक कमरे में बन्द कर दिया, जो बाद में छूटकर भाग गया था। उसने इस घटना को अपनी मौसी को बताया था। उसका महिला जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में मेडिकल परीक्षण तथा न्यायालय में बयान धारा–164 दं०प्र०सं० हुआ था। जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है। इस गवाह द्वारा अपने सशपथ बयान में न्यायालय में हुए अपने बयान धारा–164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क–2 को साबित किया गया।

पी०डब्लू–2 पीड़िता (एन) ने बयान धारा–164 दं०प्र०सं० में कहा है कि –

> *उसकी उम्र 10 वर्ष है। आज से कुछ दिन पहले दोपहर में संजीत ने उससे बीड़ी का बण्डल मंगाया था। उस समय वह मौसी के घर थी। जब वह बण्डल लेकर घर आयी, तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया था। जब वह घर में अन्दर गयी, तो संजीत ने पीछे से कुण्डी बन्द कर दी। संजीत उसकी मौसी के घर के पास रहता है। उनके घर आता–जाता था, इसलिए वह जानती है। संजीत ने उसका मुँह रजाई में दबा दिया। उसने कहा कि अगर बाहर वालों को पता चल गया कि मैने कुण्डी लगायी है, तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने उसके तथा अपने कपड़े उतार दिये। वह उसके ऊपर बैठने वाला था, लेकिन उसने बैठने नहीं दिया। वह चिल्लाई, पड़ोस वाले आ गये। उसने कुण्डी खोली तो पड़ोसियों ने उसे बचाया। घर में उस समय कोई नहीं था। संजीत ने शराब पी रखी थी। वह अपने माता–पिता के साथ जाना चाहती है।*

10– **पी०डब्ल्यू०–3 श्रीमती मीरादेवी** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि उसके घर पर उसकी बहिन की लड़की पीड़िता आयी थी। घटना दिनांक 27–03–2014 समय 4:00 बजे की है। वह खेत पर गयी थी। उसके घर पर कोई नहीं था, केवल पीड़िता ही थी। संजीत उर्फ संजीव ने घर में घुसकर छेड़छाड़ व बलात्कार किया था। वह जब खेत से वापस आयी, तो पीड़िता ने घटना के बारे में उसे बताया था। पीड़िता ने

उसे यह भी बताया था कि जब वह चिल्लाई थी, तब आस–पड़ोस के लोग आ गये थे, तब संजीत उर्फ संजीव भाग गया था। उसने अपने बहनोई नरेन्द्र को सूचना करके बुलाया था। घटना के बारे में उसने व पीड़िता ने नरेन्द्र को बताया था। फिर वह, नरेन्द्र व पीड़िता थाने पर रिपोर्ट करने गये थे और घटना के बारे में दरोगा जी ने उससे पूछताछ की थी।

11– **पी०डब्ल्यू०–4 रिटायर्ड एच०सी०पी० सावित्री पाण्डेय** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 19–03–2014 को वह थाना पचोखरा में कां०/क्लर्क के पद पर तैनात थी। उस दिनांक को समय करीब 12:15 बजे दोपहर वादी नरेन्द्र कुमार की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–65/2014, धारा–354 भा०दं०सं० व धारा–7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम संजीव कुमार पंजीकृत किया था, जिसका खुलासा जी०डी० नं०–25, समय 12:15 बजे किया। इस गवाह द्वारा अपने सशपथ बयान में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 व जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क–4 को साबित किया गया है।

12– **पी०डब्ल्यू०–5 डा० जूही वार्ष्णेय** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 29–03–2014 को समय करीब 06:15 बजे शाम वह जिला महिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उस दिन उसने पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण किया था। पीड़िता को महिला आरक्षी सावित्री पाण्डेय द्वारा लाया गया था। पीड़िता के साथ उसके पिता नरेन्द्र आये थे, जिन्होंने डाक्टरी परीक्षण कराने की सहमति दी।

<u>बाह्य परीक्षण –</u>

पीड़िता का कद 51.4 इंच था। वजन 22 किलोग्राम था। दाँत 7+ 7/6+ 7 थे एवं काठी सामान्य थी। पीड़िता के बगल एवं गुप्तॉग में बाल उपस्थित नहीं थे। स्तन विकसित नहीं था। शरीर पर चोटों के मुआयने के लिए जिला अस्पताल (पुरूष), फिरोजाबाद में सन्दर्भित किया गया था।

<u>आन्तरिक परीक्षण –</u>

पीड़िता के **गुप्तांग पर चोट का कोई निशान नहीं था। उसकी झिल्ली टूटी हुई नहीं थी। पीड़िता के गुप्तांग से कोई खून या डिस्चार्ज नहीं हो रहा था।** वैजाइनल स्लाइड बनाकर जाँच हेतु भेजा गया। **पीड़िता ने घटना के बाद कपड़े नहीं बदले थे।** पुलिस को कपड़े सील करने व गर्भाशय का अल्ट्रासाउण्ड कराने की सलाह दी गयी। उम्र के परीक्षण के लिए सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद को संदर्भित किया गया।

प्राथमिक रिपोर्ट व पूरक रिपोर्ट उसके द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयीं। पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार **वैजाइनल स्लाइड में को्इ शुक्राणु नहीं पाये गये।** अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार **गर्भाशय में को्इ गर्भ नहीं था।** रिपोर्ट के आधार पर सेक्सुअल असोल्ट की पुष्टि नहीं होती है। इस गवाह द्वारा अपने सशपथ बयान में मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–5 व पूरक मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–6 को साबित किया गया है।

13– **पी०डब्ल्यू०–6 प्रथम विवेचक सेवानिवृत्त एस०आ्इ० यादराम सिंह** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 29–03–2014 को वह थाना पचोखरा में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उस दिन मु०अ०सं०–65/2014, धारा–354 क भा०दं०सं० व धारा–7/8 पोक्सो अधिनियम, राज्य बनाम संजीव कुमार के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी के आदेश से उसे प्राप्त हु्इ थी। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में विवेचना सम्बन्धी बयान दिया है आैर नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया है।

14– **पी०डब्ल्यू०–7 द्वितीय विवेचक एस०आ्इ० देवेन्द्र कुमार** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 17–06–2014 को वह थाना पचोखरा पर एच०सी०पी० के पद पर तैनात थे। एस०आ्इ० यादराम सिंह का स्थानान्तरण हो जाने के कारण मु०अ०सं०–65/2014 धारा–354 भा०दं०सं० व धारा–7/8 पोक्सो अधिनियम की विवेचना उसे प्राप्त हु्इ थी। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में विवेचना सम्बन्धी बयान दिया है आैर दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में प्रेषित आरोपपत्र प्रदर्श क–8 को साबित किया है।

15– **पी०डब्लू०–8 सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी डा० शशि कान्त गुप्ता** ने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 31–03–2014 को वह जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में रेडियोलोजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन उसने पीड़िता का एक्सरे परीक्षण पुलिस के समक्ष किया था, जिसे ्इ०एम०आे० महिला चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद ने उसके पास भेजा था। पीड़िता के एक काला तिल दाहिने तरफ ऊपरी होठ पर था। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार **पीड़िता गर्भवती नहीं थी**। दो भाग के एक्सरे किये गये थे। दाहिनी कोहनी के एक्सरे में लेटेरल (Lateral) एेपीकोन्डाइल (Epicondyle) का एपीफाइसिस (Epiphyses) प्रकट नहीं हुआ था। मीडियल (Medial) एपीफाइसिस (Epiphyses) एवं रेडियस हड्डी का सिरा का एपीफाइसिस (Epiphyses) प्रकट हो गये थे, लेकिन अपनी हड्डी से नहीं जुडे थे। दाहिनी कोहनी के जोड़ का हाथ सहित एक्सरे में आठ कला्इ

(Carpal) हड्डियां प्रकट हो गयी थीं एवं रेडियस व अल्ना हड्डी की निचली एपीफाइसिस (Epiphyses) प्रकट हो गयी थी, लेकिन अपनी हड्डियों से नहीं जुड़े थे। उसके द्वारा किया गया एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, जो उसके हस्तलेख में है। जिस पर पीड़िता का दाहिने हाथ का निशानी अंगूठा लगा है जो उसके द्वारा प्रमाणित है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि पीड़िता का अल्ट्रासाउण्ड महिला पुलिस कां० के समक्ष उसके द्वारा किया गया था। डाक्टरी परीक्षण एवं एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र 10 वर्ष होगी। इस गवाह द्वारा अपने सशपथ बयान में पीड़िता की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–9, अल्ट्रासाउण्ड फिल्म वस्तु प्रदर्श–1 व एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श–2, को साबित किया गया।

16– अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

17– अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 11–03–2022 को अंकित किया गया, जिसमें उसने घटना को गलत बताया। गवाहान द्वारा रंजिशन झूठे बयान देना कहा तथा झूठी विवेचना कर गलत आरोप–पत्र दाखिल करना कहा। अभियुक्त द्वारा मुकदमा झूंठा चलना बताया गया। अभियुक्त ने विशेष कथन में कहा है कि पीडिता का मौसा और वह साथ–साथ आलू खुदाई का ठेका लेते थे। पीडिता के मौसा राजाराम पर उसका मजदूरी का पैसा बाकी था। उसका मजदूरी का पैसा न देना पडे, इसलिए पीडिता को बुलवा कर उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया गया। उसके माँ–बाप नहीं हैं। दो छोटे–छोटे बच्चे हैं, पत्नी भी है। उसे बेकसूर फंसाया है। वह निर्दोष है। उसे और कुछ नहीं कहना है।

18– अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू–1 योगेन्द्र व डी०डब्लू–2 नत्थू सिंह को परीक्षित कराया है।

19– मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश सिकरवार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

20– उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

21– **धारा–354 क भारतीय दण्ड संहिता – <u>किसी स्त्री के कपडे उतारने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग</u> –** जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे हमले द्वारा वह किसी सार्वजनिक स्थान पर उसके कपड़े उतारकर या उसे नग्न होने के लिए विवश करके, उसकी लज्जा भंग करेगा या करवाएगा, उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करेगा या स्त्री

पर हमला करने के लिए दुष्प्रेरण या षड़यंत्र करेगा या एेसा आपराधिक बल प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा आैर जुर्माने का भी दायी होगा।

22— **धारा—7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 — <u>लैंगिक हमला</u> –** जो कोर्इ, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को एेसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ एेसा कोर्इ अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

23— **धारा—8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 — <u>लैंगिक हमले के लिए दंड</u> –** जो कोर्इ लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी आैर जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

24— अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

25— वादी नरेन्द्र कुमार ने संजीत उर्फ संजीव कुमार के विरूद्ध थाना पचोखरा में घटना दिनांक 27—03—2014 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28—03—2014 को इस आशय से दर्ज करायी कि मेरी पुत्री/पीड़िता **(एन)**, उम्र 10 वर्ष दिनांक 27—03—2014 को शाम 4 बजे घर पर अकेली थी। हमारे गाँव का लड़का संजीत कुमार आया आैर मेरी पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर आस—पास के लोग व महिला आ गयी, जिनको आता देखकर वह छोड़ कर वहाँ से भाग गया।

26— अभियोजन ने कथानक के समर्थन में तथ्य के मात्र तीन साक्षी पी०डब्लू०—1 वादी नरेन्द्र कुमार, जो पीडिता के पिता हैं, पी०डब्लू०—2 स्वयं पीड़िता **(एन)** एवं पी०डब्लू०—3 पीड़िता की मौसी श्रीमती मीरा देवी को परीक्षित कराया गया है। अन्य साक्षी पी०डब्लू०—4 लगायत 8 आैपचारिक साक्षी हैं, जिन्होंने कार्य सरकार को अंजाम देते हुए अपने द्वारा की गयी कार्यवाही के दौरान तैयार किये गये प्रपत्रों को न्यायालय में आकर अपने साक्ष्य से प्रमाणित किया है। इन सभी साक्षियों को तथ्य के सम्बन्ध में कोर्इ व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

27— पी०डब्लू०—1 वादी नरेन्द्र कुमार एवं पी०डब्लू०—3 श्रीमती मीरा देवी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। उन्हें घटनाक्रम की जानकारी पीड़िता के द्वारा

बताये गये कथनों के आधार पर हुई और घटना के समय वह वहाँ मौजूद नहीं थे। पी०डब्लू०–1 वादी नरेन्द्र कुमार ने कहा है कि उसके साढ़ू राजाराम ने उसको सूचना दी तब वह दूसरे दिन उस गाँव में आया और अपने साढ़ू राजाराम से घटना की तहरीर लिखवा कर उस पर हस्ताक्षर करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत की। उक्त तहरीर लिखवाने के बाद उसने स्वयं पढ़ी नहीं, केवल राजाराम से सुनी थी।

28– पी०डब्लू०–1 वादी नरेन्द्र कुमार ने अपने बयान में कहा कि उसकी पुत्री घटना के एक सप्ताह पूर्व से उसके साढ़ू राजाराम के घर में रह रही थी। दिनांक 27–03–2014 को 4 बजे जब उसकी बेटी साढ़ू के घर में अकेली थी तो संजीत आया और उससे बीड़ी का बण्डल मंगाया और खुद जाकर कमरे में छिप गया और उसकी पुत्री से छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आस–पास के लोग व पड़ोस की महिला आ गयी, जिनको देखकर संजीत मेरी पुत्री को छोड़ कर भाग गया। घटना की सूचना फोन द्वारा मुझे राजाराम ने दी।

29– साक्षी ने जिरह में कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, दस्तखत बना लेता हूं। मैं हिन्दी लिख पढ़ लेता हूं। मेरी पुत्री घटना के समय कक्षा 3–4 में पढ़ती थी। मुझे अपनी पुत्री की जन्मतिथि मालूम नहीं है। घटना की जानकारी मुझे साढ़ू ने दी थी। मैं गढ़ी हर्राया घटना के दूसरे दिन शाम को पहुंच गया था और घटना की सूचना मेरे साढ़ू ने दिनांक 27–3–2014 को सुबह दी थी, जबकि अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 27–03–2014 की शाम 4 बजे की है, तब किन परिस्थितियों में, जब घटना ही घटित नहीं हुई थी, घटना वाले दिन सुबह सूचना वादी को किस प्रकार मिल गयी, यह अस्पष्ट है, जबकि वादी ने स्वयं स्वीकार किया कि वह घटना वाले दिन न पहुंच कर घटना के दूसरे दिन गांव गढ़ी हर्राया पहुंचा था।

30– थाने पर रिपोर्ट कराने मैं व मेरे साढ़ू व मेरी सढ़वाइन गयी थी, मेरी पत्नी भी साथ थी और कोई नहीं गया था। थाने में दिनांक 29 को लगभग बारह–सवा बारह बजे पहुंचे थे, जबकि घटना 27 तारीख की है और घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 28 तारीख को साढ़ू राजाराम से लिखवा कर थाना पचोखरा में दर्ज कराने के लिए दी थी, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है और वादी स्वयं 29 तारीख को घटना के दो दिन बाद सवा बारह बजे रिपोर्ट करने थाने पर जाना बताता है। साक्षी ने आगे कहा कि रिपोर्ट करने के बाद थाने से हम गढ़ी हर्राया लौट आये थे, वापस दूसरे दिन मैं अपने गाँव चला गया था। वादी के कथनानुसार 29 तारीख को रिपोर्ट कराने के उपरान्त दूसरे दिन 30 तारीख को वह अपने गाँव वापस चला गया। पुलिस 30 तारीख को गाँव आयी थी और मेरे वापस अलीगढ़ चले जाने के बाद पुलिस गाँव में

आयी थी। साक्षी ने आगे जिरह में कहा कि गाँव से वापस आकर मैंने महिला थाने में रिपोर्ट करायी थी, जबकि थाना पचोखरा में रिपोर्ट 28 तारीख को करायी गयी है, न कि महिला थाने में। महिला थाने में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की को्इ प्रति वादी अथवा अभियोजन पक्ष ने पत्रावली में दाखिल नहीं की है। दरोगा जी ने मुझे व मेरी लड़की को थाने में बुलाया था। पुलिस मेरे सामने गढ़ी हर्राया नहीं आयी थी।

31– साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया कि मेरे साढ़ू राजाराम मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पास अपनी को्इ खेती नहीं है, परन्तु इस कथन से इन्कार किया कि मेरे साढ़ू का अभियुक्त के साथ लेन–देन का विवाद हो, जिससे मैंने साढ़ू के कहने पर झूठा मुकदमा लिखाया हो।

32– पी०डब्लू०–2 पीड़िता **(एन)** ने अपनी मुख्य परीक्षा से अभियोजन कथानक का आंशिक समर्थन किया है आ्ैर न्यायालय में दिये बयान में कहा कि घटना के समय मेरी उम्र 10 साल थी। घटना की तारीख याद नहीं है, जबकि स्वयं को कक्षा–8 में पढ़ना बताया है। संजीत ने मुझसे बण्डल माचिस मंगाया था। जब वह मुझे बाहर नहीं मिला तब बण्डल रखने मौसी के कमरे में चली गयी। मुझे नहीं मालूम था कि संजीत कमरे में गेट के पीछे छिपा है। संजीत ने कमरे का दरवाजा बन्द कर दिया। उस समय मौसी के घर पर को्इ नहीं था। संजीत ने मेरे कपड़े उतारे थे तथा अपने कपड़े उतारे थे। उसने मेरे साथ छेड़खानी की थी तथा मुझे जमींन पर गिरा कर मेरे साथ गलत काम किया था। जबकि जमींन पर गिराकर गलत काम करने का को्इ उल्लेख तहरीर में नहीं है। मैं चिल्ला्इ तो उसने रजा्इ से मेरा मुंह बन्द कर दिया। बाद में मैंने शोर मचाया था तब पडोस के लोगों ने आकर मुझे बचाया था। पड़ोस के लोग कौन–कौन मौके पर आये थे उनका नाम पता इस साक्षी ने अपने बयान में नहीं बताया है आ्ैर उन्हीं पड़ोस के लोगों द्वारा संजीत को पकड कर एक कमरे में बन्द करना आ्ैर बाद में छूट कर भाग जाना कहा है। सम्पूर्ण घटना होने के बाद मौसी को घटना बताना कहा है।

33– इस साक्षी ने हाजिर अदालत अभियुक्त संजीत उर्फ संजीव कुमार को देखकर कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ गलत काम किया तथा छेड़खानी की घटना कारित की थी।

34– साक्षी ने जिरह में कहा कि मैं मौसी के यहाँ 6 दिन रूकी थी। मेरे पेपर पहले ही हो चुके थे, जबकि वादी ने अपने बयान में कहा कि घटना से एक सप्ताह पहले मेरी बेटी साढ़ू के घर आयी थी। मौसा मौसी घटना वाले दिन खेत पर काम करने गये थे आ्ैर मैं रोटी पानी के लिए घर पर रह गयी थी। मौसी मेरी शाम को 5 बजे आ गयी थीं, मौसा को घटना के थोड़ी देर बाद आ गये थे। घटना के समय के सबसे पहले पड़ोस की आंटी आ गयी थीं। पड़ोस की आंटी कौन थीं? उनका नाम इस साक्षी

ने स्पष्ट नहीं किया है। फिर कहा कि अन्दर से जो कुण्डी बन्द थी वह कुण्डी मैंने भाग कर खोल दी थी। बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। उस भीड़ के लोगों ने संजीत उर्फ संजीव को पकड़ कर उसी कमरे में बन्द कर दिया था जिस कमरे में मेरे साथ यह घटना की थी। अभियुक्त संजीत मौका पाकर कुण्डी तोड़ कर भाग गया था। वह नशे में था। घटना से पहले संजीत कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। मेरी मौसी के घर में एक ही कमरा है। मुझे दिशाआें का ज्ञान नहीं है। मौसी के घर के बगल किसका घर है उसका नाम मुझे नहीं मालूम। मैं गढ़ी हर्राया में अपने मौसा मौसी के अलावा सिर्फ अभियुक्त संजीत एवं उसके घर वालों को जानती हूं। संजीत के घर में उसके अलावा दो लड़कियाँ हैं। मैं नहीं बता सकती वह संजीत के रिश्ते में कौन लगती हैं? एक लेडीज है आैर उस लेडीज के लड़के की बहू है तथा उस लेडीज का एक पति है। इन लोगों का संजीत से क्या–क्या रिश्ता है, मुझे नहीं मालूम। पीड़िता के बयान से स्पष्ट है कि पीड़िता **(एन)**, संजीत के घर वालों को छोड़ कर गाँव में आैर किसी को नहीं जानती है। संजीत के घर में कितने सदस्य हैं, कौन–कौन हैं? उसे इन सबकी जानकारी है।

35– मेरे पापा घटना वाले दिन ही सुबह आ गये थे। रिपोर्ट करने मेरे मौसा जी गये थे। मौसा जी के साथ मैं थाने नहीं गयी थी, मैं अपने पापा के साथ थाने गयी थी। जबकि वादी नरेन्द्र ने अपने बयान में कहा कि वह घटना के दूसरे दिन सूचना पाकर अपने साढ़ू राजाराम के गाँव गढ़ी हर्राया आया था। वादी ने भी अपने बयान में कहा था कि मुझे घटना, जो दिनांक 27–03–2014 को शाम 4 बजे हुर्इ थी, की सूचना सुबह ही राजाराम ने घटना वाले दिन दे दी थी, जो कि असम्भव है। साक्षी ने फिर कहा कि घटना के बाद मेरे पापा दूसरे दिन आये थे। मैं अस्पताल भी गयी थी आैर पुलिस ने मुझसे मौसी के घर एवं थाने पर पूछताछ की थी। मैं पापा के साथ थाने गयी थी, जबकि वादी ने अपने बयान में कहा कि वह पीडिता को साथ लेकर थाने पर कभी नहीं गया था आैर जब पुलिस गाँव में आयी थी तो वह गाँव में मौजूद नहीं था आैर वह अपने गाँव अलीगढ़ चला गया था। वादी ने तो यहाँ तक कहा कि पुलिस गाँव गढ़ी हर्राया में उसके सामने नहीं आयी थी।

36– संजीत ने जब कुण्डी बन्द की थी, तब भी मैं चिल्लार्इ थी, लेकिन संजीत ने मेरा मुंह रजार्इ से बन्द कर दिया था। रजार्इ से मुंह दो–तीन मिनट दबाया था, फिर उसने रजार्इ हटा दी थी। रजार्इ हटाने पर पीड़िता पुनः नहीं चिल्लार्इ। संजीत ने मेरे साथ गलत काम किया था। संजीत ने मेरे कपड़े उतारे थे। मुझसे पहले उसने अपने कपड़े उतारे थे, फिर उसने मेरे साथ गलत काम किया आैर बोला कि अगर तू चिल्लार्इ तो तुझे मार कर इसी में रख जाऊंगा। जब वह अपने कपड़े

और मेरे कपडे उतार रहा था तब मैं चिल्लाई नहीं थी, लेकिन भागने का प्रयास किया था तो उसने भागने नहीं दिया था। मैंने पुलिस को अपने साथ गलत काम करने की बात बताई थी। यदि पुलिस ने मेरे बयान में यह बात नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती।

37– मेरा जब धारा–164 दं०प्रं०सं० का बयान हुआ था तब मैं अपने साथ गलत काम वाली बात इसलिए नहीं बता पायी, क्योंकि उस समय मैं बहुत डरी हुई थी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता का बयान धारा–164 दं०प्रं०सं० मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 01–04–2014 को अंकित किया गया है और धारा–161 दं०प्रं०सं० का बयान दिनांक 29–03–2014 को, तथाकथित घटना के दूसरे दिन विवेचक द्वारा अंकित किया गया, उस समय पीड़िता नहीं डरी हुई थी और उसने गलत काम वाली बात बताई थी, परन्तु घटना के चार दिन बाद डर कर मजिस्ट्रेट के समक्ष गलत काम करने वाली बात नहीं बताई थी। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है।

38– घटना के बाद मैं अपने गाँव 10–15 दिन बाद चली गयी थी। घटना के बाद भी मैं अपनी मौसी के घर रूकी रही थी। मैंने जो मजिस्ट्रेट साहब को बताया था वही बात सही थी।

39– वादी ने रिपोर्ट में अपनी पुत्री के साथ केवल छेड़छाड़ करने का कथन संजीत द्वारा किया गया है और पीड़िता ने बयान धारा–161 दं०प्रं०सं० में कहा है कि संजीत ने कुण्डी लगा ली थी और फिर उसने अपने भी कपडे उतारे और मेरे भी कपडे उतारे, फिर वह पेट पर बैठने वाला था, पर मैंने बैठने नहीं दिया। फिर पड़ोस किनने आवाज मार दी और वह आ गयी। पीडिता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये धारा–164 दं०प्रं०सं० के बयान में कहा कि मैं मौसी के घर पर इसलिए आयी थी, क्योंकि मौसी आलू के खेत पर चली जाती थी तो मैं घर पर रह कर मौसी के बेटे अनिल तथा घर पर देखभाल करती थी और खाना बनाती थी। जबकि पीड़िता की उम्र उस समय मात्र 10 वर्ष थी। विवेचक द्वारा पूछे जाने पर उसने अपनी मौसी व मौसा का नाम रानी व राजा बताया, जबकि उसके मौसा का नाम राजाराम और मौसी का नाम मीरा देवी है, जो पत्रावली में बतौर साक्षी पी०डब्लू०–3 परीक्षित हुई है, जबकि मौसा राजाराम को परीक्षित नहीं कराया है। पीडिता ने धारा–164 दं०प्रं०सं० के बयान में मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा कि मैं होली के तीन दिन पहले अपनी मौसी के घर आयी थी, जबकि वादी ने सशपथ अपने बयान में कहा कि वह एक सप्ताह पूर्व आयी थी और पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में कहा कि वह 6 दिन पूर्व अपनी मौसी के घर आयी थी। पीड़िता ने कहा कि संजीत मेरी मौसी के घर के पास रहता है। उनके घर आता जाता था, इसलिए मैं जानती थी। संजीत ने मेरा मुंह रजाई में दबा दिया था

और कहा कि अगर बाहर वालों को पता चल गया कि मैंने कुण्डी लगाई है तो तुम्हें जान से मार दूंगा। साक्षी के कथनानुसार अभियुक्त संजीत को बाहर वालों से खतरा था, परन्तु घर वालों से कोई डर नहीं था, इसलिए उसने घर वालों के सम्बन्ध में कोई धमकी पीड़िता को नहीं दी। उसने मेरे तथा अपने कपडे उतार दिये। वह मेरे ऊपर बैठने वाला था, लेकिन मैंने बैठने नहीं दिया, जबकि साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि उसने मेरे व अपने कपडे उतारे तथा मेरे साथ छेड़खानी की थी तथा मुझे जमीन पर गिरा कर मेरे साथ गलत काम किया था। बयान धारा–164 दं०प्रं०सं० में कहा कि मेरे ऊपर बैठने वाला था, लेकिन मैंने बैठने नहीं दिया। मैं चिल्लाई तो पड़ोस वाले आ गये। मैंने कुण्डी खोली तो पड़ोसियों ने मुझे बचाया और जिरह दिनांक 13–09–2018 में कहा कि मैंने जो मजिस्ट्रेट साहब को बताया है वही बात सही है। पीड़िता, वादी एवं मीरा के समस्त कथनों एवं बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

40– जब संजीत मुझे कमरे में बन्द किये था उस समय मैं चिल्लाई थी तो बाहर करीब 7–8 लोग महिला पुरूष आ गये थे। जब संजीत ने रजाई से मेरा मुंह दबा दिया, तब मैं जोर से चीखी चिल्लाई थी और हाथ पैर फेंके थे, तब काफी लोग आ गये थे, परन्तु किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा खुलवा कर/तोड़ कर पीड़िता को बचाने का प्रयास नहीं किया। पीड़िता उनमें से किसी को नहीं जानती, जबकि पड़ोस वाली आंटी भी आ गई थीं, जिनकी पुत्री पूजा के कपड़े वह अक्सर दोस्ती में पहन लेती है और उनके घर भी आती जाती है, उन्होंने भी पीड़िता को बचाने का प्रयास नहीं किया। रजाई से मुंह दबाने वाली बात मौसी मौसा व पुलिस को बताई थी, लेकिन धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान कागज संख्या–6 क जो पत्रावली में मौजूद है, में इस बात का उल्लेख नहीं है।

41– अन्दर से दरवाजा मैंने खोला था, बाहर खडे लोगों ने दरवाजा नहीं तोड़ा था। जिस अवस्था में नीचे दबी थी उसी अवस्था में मैं छूटी व पकड़ से बाहर हुई तथा सीधे मैं कुण्डी खोली थी और बाहर आ गयी, जबकि पीड़िता ने अपने सभी पूर्व बयानों में कथन किया है कि संजीत ने पहले अपने कपडे उतारे और फिर पीड़िता के सभी कपडे उतार दिये थे और जब घटना घटित हो गयी तो मैंने अन्दर से दरवाजा स्वयं खोला था और बाहर 8–10 लोग महिला पुरूष मौजूद थे, परन्तु किसी ने पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और न उन्होंने दरवाजा तोड़ कर पीड़िता को बाहर निकाला या बचाने का प्रयास किया, उनमें पड़ोस की आंटी निर्मला, पूजा की माँ भी थीं, जिनके घर पीड़िता आती जाती है व उनकी पुत्री पीड़िता की दोस्त

है। पीडिता ने यह भी कहा कि जिस अवस्था में वह बिना कपडों के नंगी दबी हुई थी उसी अवस्था में वह संजीत की पकड से छुटी और सीधे कुण्डी खोल कर बाहर आ गयी, जो कि अविश्वसनीय प्रतीत होता है। बाहर आकर उसे कपडे किसने पहनाये या किसने उसके तन को ढ़का, यह उसने अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया है।

42– संजीत को उसी कमरे में लोगों ने बन्द कर दिया था। लोगों ने उसे मारापीटा नहीं था, बाहर से कुण्डी लगा दी थी। संजीत कुण्डी तोड़ कर भागा था। जब संजीत भागा था उस समय लोग मौजूद थे। उस समय उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। लोगों ने उसे पकडने का प्रयास किया लेकिन पकड़ नहीं पाये थे। घटना के तुरन्त बाद मौके पर जो लोग पीड़िता की आवाज सुनकर बाहर एकत्र हुए थे उनमें से किसी ने संजीत, जो कि निहत्ता था, उसके पास कोई हथियार नहीं था, को पकड़ने का प्रयास नहीं किया और न ही रोकने का प्रयास किया, जबकि संजीत उसी गाँव का रहने वाला है। उक्त कथन अविश्वसनीय प्रतीत होता है।

43– घटना वाले दिन जो मैंने कपड़े पहने थे वह कपड़े मौसी के पड़ोस की रहने वाली लड़के के थे, उस लड़की का नाम पूजा है। अभियोजन ने उक्त लड़की पूजा अथवा उसके माता पिता, (जिनके नाम साक्षी को मालूम नहीं हैं), को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया है। वह कपड़े मैंने खुद पूजा को घटना के अगले दिन दे दिये थे। सलवार व कुर्ती हरे रंग का कपडा था। हम लोग आपस में एक दूसरे के कपड़े मित्रता की वजह से पहन लेते थे, जबकि पीड़िता ने अपने पूर्व बयान में कहा कि वह अपनी मौसी व मुल्जिम संजीत के घर वालों के अलावा किसी को नहीं जानती है और न ही उसका आना जाना है।

44– पीड़िता ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि संजीत और मेरे मौसा दोनों लोग साथ–साथ मजदूरी करते थे। मजदूरी पर दूसरे के खेतों में काम करते थे। परन्तु इस कथन से इन्कार किया कि मेरा मौसा और संजीत साथ–साथ खेतों में मजदूरी करते थे और पैसों के लेन–देन में विवाद हुआ हो, जिस कारण यह मुकदमा झूठा लिखा दिया हो और मैं मौसा के कहने पर आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूँ।

45– पी०डब्लू०–3 पीड़िता की मौसी श्रीमती मीरा देवी ने कहा कि घटना 10 तारीख की है। मेरी बहिन की लड़की आयी थी। फिर कहा घटना दिनांक 27–03–2014 समय 4 बजे की है। मैं खेत पर गयी थी, घर पर कोई नहीं था। संजीत ने घर में घुस कर छेडछाड व बलात्कार किया था। मैं जब खेत से वापस आयी तो पीड़िता ने मुझे बताया कि जब मैं चिल्लाई थी तब आस–पास के लोग आ गये थे तब संजीत भाग गया था। मैंने अपने बहनोई नरेन्द्र को सूचना करके बुलाया था, जबकि वादी

नरेन्द्र ने अपने बयान में कहा कि उसने अपने साढू नरेन्द्र को सूचना देकर बुलाया था आ ैर वह दूसरे दिन गाँव आये थे। फिर कहा हम, नरेन्द्र व पीड़िता थाने पर रिपोर्ट कराने गये थे, जबकि वादी नरेन्द्र व पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर नहीं गयी थी आ ैर दरोगा जी ने उससे को ई पूछताछ नहीं की थी क्योंकि नरेन्द्र रिपोर्ट लिखाने के दूसरे दिन अपने गाँव वापस चला गया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि वह अपने पिता के साथ रिपोर्ट लिखाने थाने नहीं गयी थी, बल्कि अपने पिता के साथ पुलिस के बुलाने पर थाने गयी थी आ ैर गाँव में आकर पुलिस ने पूछताछ की थी। नरेन्द्र ने अपने बयान में कहा कि पुलिस गाँव गढ़ी हर्राया में पूछताछ के लिए उसके सामने कभी नहीं आयी।

46– साक्षी ने जिरह में कहा कि पीडिता मेरे यहाँ फरवरी महीने में 10 तारीख को आयी थी, जबकि वादी ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता अपनी मौसी के घर एक सप्ताह पहले आयी थी आ ैर पीडिता ने अपने बयान में कहा कि मौसी के यहाँ मैं 6 दिन पहले आयी थी। इस साक्षी के कथनानुसार पीड़िता घटना से लगभग डेढ़ माह पूर्व से उसके यहाँ रह रही थी। तीनों तथ्य के साक्षियों के बयानों में इस बिन्दु पर विरोधाभास है।

47– साक्षी ने कहा कि सामान्यतः रोज मैं मजदूरी पर जाती हूं। मैं उस समय स्कूल में खाने बनाने का काम करती थी। स्कूल समय 10 बजे से 4 बजे तक चलता था। मैं दोपहर के बाद छुट्टी ले लेती थी। मेरे दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। उस दिन बच्चे स्कूल नहीं आये थे, मेरे साथ खेत पर मौजूद थे। मेरे घर से खेत की दूरी लगभग 500 मीटर है। मेरे पति भी मेरे साथ व अन्य मजदूरों के साथ खेत पर काम कर रहे थे, आलू की बिना ई चल रही थी। जब मैं शाम को 5 बजे घर पर पहुंची तो पीड़िता ने रो चिपट कर रोते हुए घटना के बारे में बताया था। मुझे मौहल्ले की निर्मला देवी ने भी घटना के बारे में बताया था। घटना के बाद पीड़िता को मौहल्ले की निर्मला देवी ने अपनी लड़की के कपड़े पहनाये थे, जबकि पीड़िता ने अपनी जिरह दिनांक 13–09–2018 के पृष्ठ सं०–7 की अन्तिम सातवीं पंक्ति में कहा कि – घटना वाले दिन जो मैंने कपड़े पहने थे वह कपड़े मौसी के पड़ोस की रहने वाली लड़की के थे। उस लड़की का नाम पूजा है। उसके माता पिता का नाम नहीं मालूम। वह कपड़े मैंने खुद पूजा को घटना के अगले दिन दे दिये थे। सलवार व कुर्ता थे। हरे रंग का कपडा था। हम लोग आपस में एक दूसरे के कपड़े मित्रता की वजह से पहन लेते हैं।

48– श्रीमती मीरा देवी ने अपनी जिरह में आगे कहा कि यह कहना सही है कि मेरी लड़की निर्मला की लड़की के कपड़े सुबह से ही

पहने थी। पीड़िता व निर्मला की लड़की आपस में एक दूसरे के कपड़े बदल कर पहन लेती थीं। जब मैं घर पर वापस आयी तब मेरा पूरा घर भीड़ से भरा हुआ था। मौके पर निर्मला व रजनी व रज्जो मौजूद थी। अभियोजन ने मौके पर उपस्थित निर्मला, रजनी व रज्जो को अपने पक्ष कथन के समर्थन में न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया, जबकि यह घटना के चक्षुदर्शी साक्षी व अहम गवाह थे।

49– संजीत मेरे पति के साथ मजदूरी नहीं करता है। संजीत का घर, दो–तीन घर छोड़ कर मेरे घर से दूर है। जबकि वादी ने अपनी जिरह के पृष्ठ के द्वितीय पैरा में कहा कि मेरे साढू राजाराम मेहनत मजदूरी करते हैं। इनके पास अपनी कोई खेती नहीं है और इस कथन से इन्कार किया कि मेरे साढू का अभियुक्त के साथ लेन–देन का विवाद हो और साढू के कहने पर मैंने झूठा मुकदमा खिलाफ लिखाया हो। पीड़िता ने अपनी जिरह के पृष्ठ–8 के प्रथम पैरा में कहा कि संजीत और मेरे मौसा दोनों लोग साथ–साथ मजदूरी करते थे। मजदूरी पर दूसरे के खेतों में काम करते थे। परन्तु इस कथन से इन्कार किया कि मेरे मौसा और संजीत साथ–साथ खेतों में मजदूरी करते थे। पैसों के लेन–देन में विवाद हुआ था, जिस कारण यह मुकदमा झूठा लिखा दिया हो। तथ्य की अन्तिम साक्षी श्रीमती मीरा देवी ने पूर्व साक्षियों के विपरीत कथन किया कि संजीत मेरे पति के साथ काम नहीं करते हैं।

50– मैंने बलात्कार वाली बात दरोगा जी को बताई थी, उन्होंने मेरे बयान में नहीं लिखी है, वजह नहीं बता सकती। जिस दिन की घटना है उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, मेडीकल दूसरे दिन हुआ था। इस बिन्दु पर तथ्य के साक्षियों में परस्पर विरोधाभास है। वादी ने अपने बयान में कहा कि घटना की सूचना साढू से प्राप्त होने पर वह दूसरे दिन उनके गाँव गढ़ी हर्राया पहुंचा था। घटना दिनांक 27–03–2014 समय शाम 4 बजे की रिपोर्ट थाने में दूसरे दिन साढू राजाराम से लिखवा कर, हस्ताक्षर करके थाने पर दी थी, जबकि वादी ने अपने बयान में स्वयं को पढ़ा लिखा होना बताया है। वादी के अनुसार थाने में रिपोर्ट दिनांक 29–03–2014 को लिखी गयी और उसके दूसरे दिन वह अपने गाँव वापस दिनांक 30–03–2014 को चला गया। उसके सामने पुलिस पूछताछ के लिए गाँव में नहीं आयी थी। घटना की सूचना, घटना घटित होने से पूर्व सुबह ही वादी ने सूचना मिलना कहा है, जबकि घटना शाम को 4 बजे घटित हुई है। श्रीमती मीरा देवी ने स्वीकार किया कि मैंने घटना अपनी आँखों से नहीं देखी है।

51– पी०डब्लू०–4 सावित्री पाण्डेय, एच०सी०पी० ने न्यायालय में आकर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी०डी० को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है और जिरह में कहा कि चिक प्रथम सूचना

रिपोर्ट आ ैर जी०डी० मैंने दोनों प्रपत्र एक साथ नहीं काटे थे, दोंनो पर एक ही समय कैसे पड़ा है, मैं नहीं बता सकती। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने वादी को मजरूबी चिट्ठी दी थी या नहीं। अर्थात् पहले प्रकरण को जी०डी० में इन्द्राज किया जाता है उसके उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर केस दर्ज किया जाता है। ***ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए०आ ्ई०आर० 2014 एस०सी० 187 (पाँच जज बैंच)*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – The General Diary/Station Diary/Daily Diary is the record of all information received in a Police Station, all the information relating to congnizable offences.

52– पी०डब्लू०–5 डा० जूही वार्ष्णेय ने अपने सशपथ बयान में कहा कि पीडिता के पिता द्वारा डाक्टरी परीक्षण कराने की सहमति दी थी। पीड़िता का कद 51.4 इंच, वजन 22 कि०ग्रा०, दाँत 7+ 7/6+ 7, कद काठी सामान्य, बगल एवं गुप्तांग में बाल नहीं थे एवं स्तन विकसित नहीं थे। पीड़िता को मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ था। पीड़िता के गुप्तांग पर को ्इ चोट का निशान नहीं था। उसकी झिल्ली टूटी हु ्इ नहीं थी। पीड़िता के गुप्तांग से को ्इ खून या डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। वैजाइनल स्लाइड बनाकर जाँच के लिए भेजा। पीड़िता ने घटना के बाद कपडे नहीं बदले थे। पुलिस को कपड़े सील करने की सलाह दी गयी, जबकि पीड़िता एवं उसकी मौसी श्रीमती मीरा देवी ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता ने उनकी पुत्री पूजा के कपड़े सुबह पहने थे आ ैर शाम को उतार कर वापस कर दिये थे। मित्रता होने के नाते वह एक दूसरे के कपड़े बदल कर पहन लेती हैं, जबकि चिकित्सीय परीक्षण करने वाली डाक्टर ने कहा कि पीड़िता ने कपड़े नहीं बदले थे आ ैर उन्होंने पुलिस को उक्त कपडे सील करने की सलाह दी थी। तथ्य के साक्षियों के कथन पीड़िता के कपड़ों की बावत विरोधाभासी है।

53– पूरक रिपोर्ट के अनुसार वैजाइनल स्लाइड में को ्इ शुक्राणु नहीं पाया गया। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार गर्भाशय में को ्इ गर्भ नहीं था। रिपोर्टों के अ ाधार पर सेक्सुअल असाल्ट की पुष्टि नहीं होती है, जबकि वादी द्वारा अपनी पुत्री के साथ छेडछाड करना बताया गया है आ ैर पीड़िता व उसकी मौसी द्वारा मुल्जिम संजीत ने पीडिता के साथ उसके समस्त कपडे उतार कर, जमीन पर गिराकर गलत काम/बलात्कार करने का कथन किया गया है आ ैर पीड़िता ने प्रतिरोध में हाथ पैर फेंकने का कथन किया है। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार पीड़िता के साथ बलात्कार आ ैर लैंगिक हमले की पुष्टि नहीं होती है। चिकित्सक ने जिरह में कहा कि मैंने पुलिस को कपडे सील करने की सलाह दी थी, परन्तु मेरे सामने कपडे सील नहीं हुए थे।

54– पी०डब्लू०–6 एस०आ ाइ० यादराम ने केस डायरी के पर्चों को न्यायालय में आकर साबित किया है आ ैर दिनांक 29–03–2014 को वादी व पीड़िता की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी एवं आरोप–पत्र तैयार करना कहा है। साक्षी ने जिरह में कहा कि लोक सभा चुनाव के कारण विवेचना के प्रारम्भ में समय व स्थान अंकित नहीं कर सका। घटना स्थल पर अभियुक्त के आने का रास्ता मुझे वादी एवं पीड़िता ने बताया था, परन्तु उभय साक्षियों के धारा–161 दं०प्रं०सं० के बयान को सुनकर कहा कि उनके बयानों में अभियुक्त के आने का रास्ता अंकित नहीं है। साक्षी ने कहा कि यह कहना गलत है कि मुझे किसी गवाह ने अभियुक्त के आने व जाने का रास्ता न बताया हो। घटना स्थल गाँव के बीच में है आ ैर उसके आस–पास घर नहीं बने हैं। जबकि पीड़िता ने कहा कि मौसी के घर के आस–पास मकान बने हैं, परन्तु वह संजीत के घर के अलावा किसी को नहीं जानती है आ ैर घटना के समय पडोस की आंटी मौके पर आ गयी थीं। श्रीमती मीरा देवी ने कहा कि हमारे घर से दो–तीन घर दूर संजीत का घर है आ ैर संजीत का पीड़िता के घर में आना जाना है। साक्षी ने जिरह में आगे कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते समय पीड़िता थाने पर आयी थी, जबकि वादी, पीड़िता एवं मीरा ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर नहीं गयी थी। इसी तथ्य को रिपोर्ट दर्ज करने वाली सावित्री पाण्डेय ने भी अपने बयान से समर्थित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मेडीकल होने तक, धारा–164 दं०प्रं०सं० का बयान अंकित होने तक पीड़िता सम्भवतः अपने पिता के साथ रही होगी।

55– यह कहना सही है कि मैंने विवेचना के दौरान किसी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया है। जो साक्षी हैं, वह पीड़िता के रिश्तेदार हैं। मुझे ध्यान नहीं है कि साक्षियों के बयान मैंने कहाँ अंकित किये। पीड़िता ने धारा–164 दं०प्रं०सं० के बयान में कहा कि संजीत ने मेरा मुंह रजा ाइ से दबा दिया था एवं संजीत ने शराब पी रखी थी, यह बात धारा–161 दं०प्रं०सं० के बयान में नहीं लिखी है। नक्शा नजरी बनाते समय ध्यान नहीं है कि गाँव के कौन–कौन लोग मौजूद थे, पीड़िता व वादी मौजूद थे। घटना स्थल का मुआयना किया था। उस कमरे में किवाड़ थे या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। कमरे में क्या–क्या बना है, मुझे ध्यान नहीं हैं। जबकि तथ्य के सभी साक्षियों ने कहा कि पीड़िता के चिल्लाने पर बहुत से लोग कमरे के बाहर इकट्ठा हो गये थे। कमरे में अन्दर से कुण्डी लगी थी। जब पीड़िता कमरे से बाहर निकल कर आयी तो संजीत को पकड़ कर उसी कमरे में बन्द करके बाहर से कुण्डी लगा दी थी। संजीत द्वारा कुण्डी खोलना किसी भी साक्षी ने नहीं कहा है, कुण्डी तोड़ कर भागना कहा है, परन्तु किसी भी

व्यक्ति ने उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया, जबकि संजीत उसी गांव का रहने वाला है।

56– यह कहना गलत है कि अभियुक्त संजीत, कथित पीडिता के मौसा के बीच लेन–देन का विवाद हो, जिस कारण यह झूठा मुकदमा अभियुक्त के विरूद्ध लिखाया गया हो आ ैर संजीत ने शराब पी रखी थी। इन दोनों बिन्दुआ ें पर विवेचक ने को ई विवेचना नहीं की है आ ैर न ही किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान केस डायरी में अंकित किया है।

57– पी०डब्लू०–7 एस०आ ई० देवेन्द्र कुमार विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं०–15 में श्रीमती बबली देवी के बयान अंकित करने का कथन किया है, परन्तु उनको भी अभियोजन ने साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया है। साक्षी ने जिरह में कहा कि मैंने राजाराम व अन्य सभी साक्षियों के बयान थाने पर बुला कर लिए थे। सभी को फोन करके थाने पर बुलाया था आ ैर बयान लिखा था। मैंने घटना स्थल का निरीक्षण नहीं किया, पूर्व विवेचक द्वारा किया गया था। मेरे द्वारा जिन गवाहों के बयान अंकित किये गये वे लोग पीड़िता, माता, पिता, मौसा व मौसी के बयान अंकित किये गये थे। इस साक्षी ने घटना एवं मौके के किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान अंकित नहीं किया है।

58– पी०डब्लू०–8 डा० शशिकान्त गुप्ता ने अल्ट्रासाउण्ड के आधार पर पीड़िता को गर्भवती होना नहीं कहा है आ ैर एक्सरे रिपोर्ट व एक्सरे प्लेट को न्यायालय में आकर साबित किया है। जिरह में पीड़िता की उम्र लगभग 10 वर्ष होना कहा है। मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट पत्रावली में नहीं है।

59– अभियुक्त ने बयान धारा–313 दं०प्रं०सं० में घटना से इन्कार किया है आ ैर पीड़िता का मौसा आ ैर मैं साथ–साथ आलू खुदा ई ठेका साथ–साथ लेते थे। पीडिता के मौसा राजाराम पर मेरा मजूदरी का पैसा बकाया था। मेरी मजदूरी का पैसा न देना पडे इसलिए पीड़िता को बुलवा कर मेरे विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखवाया है। मैं निर्दोष हूं।

60– बचाव में अभियुक्त ने डी०डब्ल्यू०–1 योगेन्द्र को परीक्षित कराया है, जिसने अपने सशपथ बयान में कहा है कि संजीव मजदूरी करता है। वह भी मजदूरी करता है। राजाराम उसके गांव के हैं। राजाराम गाड़ी चलाते हैं, यह उसे नहीं मालूम। राजाराम गाड़ी चलाने के अलावा क्या काम करते हैं, उसे नहीं मालूम। आलू की मजदूरी को लेकर राजाराम व संजीव के बीच विवाद हुआ था। पैसे का विवाद था। संजीत के रूपये राजाराम पर निकल रहे थे। राजाराम ने रूपये नहीं दिये, झगड़ा किया। राजाराम के को ई लड़की नहीं है। इसलिए उन्होने अपने किसी रिश्तेदार की लड़की का आरोप लगाया होगा। यह मुकदमा राजाराम ने संजीव पर

झूंठा लगाया है। साक्षी ने जिरह में कहा कि मैं घटना के समय मौजूद नहीं था, अपने घर पर था। संजीत के घर गाँव के नाते मेरा आना जाना है। अदालत में मेरे पक्ष में गवाही दे दो तो मेरा मुकदमा छूट जायेगा, इसलिए गवाही देने आया हूं। मैं घटना के समय आलू का काम कर रहा था।

61– डी०डब्ल्यू०–2 नत्थू सिंह ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि वह छोटा किसान है, मजदूरी भी करता है। गाय–भैंस भी रखता है। वह रेगुलर मजदूरी नहीं करता है। जब कभी काम मिल जाता है, तो चला जाता है। संजीत उसके गांव का है। संजीत भी मजदूरी करता है। संजीत गेंहूँ काटने, आलू खोदने आदि का ठेका लेता है। संजीत के ठेके में गांव के अन्य लोग भी शामिल हो जाते हैं। आलू खुदाई का ठेका संजीत हर साल लेता है। वर्ष 2014 में किसके साथ ठेका संजीत ने लिया था, यह उसे ध्यान नहीं है। वैसे राजाराम व धुरी के साथ ठेका लेता है, लेकिन ठेका लेने का वर्ष उसे याद नहीं है। राजाराम के साथ मजदूरी के रूपयों को लेकर विवाद हुआ था। संजीत कहता था कि उसके रूपये राजाराम पर निकल रहे हैं और राजाराम कहते थे कि संजीत के रूपये उसपर नहीं निकल रहे हैं। राजाराम ने संजीत को रूपये नहीं दिये, जिससे राजाराम के रिश्तेदार के माध्यम से संजीत के विरूद्ध झूंठा मुकदमा लिखा दिया। वह संजीत के साथ आलू खुदाई का काम करता है। उसे वर्ष याद नहीं है कि कब से कर रहा है। लगभग 20 वर्ष से संजीत के साथ काम कर रहा है। दिनांक 27–03–2014 को भी वह आलू खुदाई कर रहा था। पूरे दिन उसने काम किया। उस दिन उसके साथ संजीत, राजाराम और गांव के बहुत लोग काम कर रहे थे। दोपहर में 1.00 बजे से 2.00 बजे तक लंच रहता है। इसके बाद 5.00–6.00 बजे तक काम चलता है। दोपहर बाद भी संजीत उसके साथ कर रहा था। संजीत ने राजाराम के रिश्तेदार की लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, न ही कोई ऐसा मामला हुआ था। संजीत पर लगाया गया आरोप झूंठा है। साक्षी ने जिरह में कहा कि घटना की रिपोर्ट राजाराम के साढू ने की, ऐसा मैंने सुना है कि रिपोर्ट हुई थी। राजाराम के साढू ने अपनी पुत्री के साथ छेडछाड की रिपोर्ट संजीत के विरूद्ध थाने में की थी। संजीत ने मुझसे कहा था कि मेरे मुकदमे के बारे में न्यायालय में सही बात बता दो। संजीत ने मुझे किराया भाड़ा नहीं दिया, न ही मैं उसके साथ आज आया हूं। संजीत से मेरा कोई मेलजोल नहीं है, न ही कोई रिश्तेदारी है। मैंने संजीत के साथ आलू के सीजन में मजदूरी की है, लेकिन तारीख, महीना, सन् याद नहीं है। घटना के समय मैं आलू खोद कर घर आया था। मेरा घर संजीत के घर से 10–12 गज की दूरी पर है। मेरे सामने संजीत और राजाराम के मध्य हिसाब किताब किस तारीख को हुआ था, मुझे याद नहीं है। उस समय राकेश, जगदीश, राजाराम व उसकी

पत्नी, भूप, मुकेश, चोब सिंह आदि लोग उपस्थित थे। घटना से पूर्व संजीत का राजाराम के घर खूब आना जाना है। मुझे घटना की को्ई जानकारी नहीं है। मैं संजीत को बचाने के लिए गवाही देने आया हूं।

62– माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***सुदीप कुमार सेन बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य, (2016) 3 एस०सी०सी० 26*** एवं ***नन्द कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2015) 1 एस०सी०सी० 776*** तथा ***पृथीपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012 (76) ए०सी०सी० 680 (एस.सी.),*** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – **SOLE WITNESS :–** Whether conviction can be based on the evidence of a sole witness? It has been held by the Supreme Court in the cases noted above that in a criminal trial quality of evidence and not the quantity matters. As per **Sec. 134 of the Evidence Act.** no particular number of witnesses is required to prove any fact. Plurality of witnesses in a criminal trial is not the legislative intent. If the testimony of a sole witnesses is found reliable on the touchstone of credibility, accused can be convicted on the basis of such sole testimony:

63– प्रस्तुत प्रकरण में एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी पीड़िता (एन) ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उसने अपने बयान धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये गये बयान में घटना के सन्दर्भ में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं।

64– ***कल्याण कुमार गोग्ई बनाम आशुतोष अग्निहोत्री, ए०आ्ई०आर० 2011 एस०सी० 760*** एवं ***मुकुल रानी वार्ष्णेय बनाम दिल्ली डवलप्मेंट आ्ॅथोरिटी, (1995) 6 एस०सी०सी० 120*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – As per S. 60, Evidence Act, hearsay deposition of a witness is not admissible and cannot be read as evidence. Failure to examine a witness who could be called and examined is fatal to the case of prosecution. प्रस्तुत मामले में पीड़िता एक मात्र चश्मदीद साक्षी है। शेष साक्षीगण वादी व मीरा ने घटना नहीं देखी, केवल पीड़िता के बताये अनुसार बयान दिया है।

65– उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के सन्दर्भ में तीन साक्षियों में से मात्र एक साक्षी पीड़िता ही घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है, शेष दो साक्षी वादी नरेन्द्र व मौसी मीरा ने स्वयं स्वीकार किया कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे। मीरा खेत पर

मजदूरी कर रही थी आैर नरेन्द्र अपने गाँव में थे, सूचना पाकर वह दोनों क्रमशः शाम 5:00 बजे तथा वादी दूसरे दिन अपने साढ़ू के घर पहुंचे थे। चक्षुदर्शी पीडिता साक्षी के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। वह अपनी मौसी का नाम कभी रानी तो कभी मीरा बताती है। उसके पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में संजीत द्वारा पुत्री से छेड़खानी करना बताया गया है, जबकि पीडिता ने धारा–161 दं०प्रं०सं० के बयान में अपने व पीड़िता के कपडे उतारने के बाद उसके पेट पर बैठने ही वाला था, उसने आवाज लगा दी आैर उसने उसे बैठने नहीं दिया। धारा–164 दं०प्रं०सं० के बयान में कहा कि वह मेरे व अपने कपडे उतार कर मेरे ऊपर बैठने वाला था, लेकिन मैंने बैठने नहीं दिया। चिल्लाने पर पडोस वाले आ गये, मैंने कुण्डी खोली तो पडोसियों ने मुझे बचा लिया आैर न्यायालय में आकर इसी साक्षी ने बयान दिया कि संजीत ने मेरे तथा अपने कपडे उतारे आैर मेरे साथ छेड़खानी की तथा मुझे जमीन पर गिरा कर मेरे साथ गलत काम भी किया आैर चिल्लार्इ तो रजार्इ से मुंह बन्द कर दिया, बाद में शोर मचाया तो पडोस के लोगों ने बचा लिया। पीडिता व मौसी मीरा ने जिरह में कहा कि अपने व पीड़िता के कपडे उतारने के बाद उसने मेरे साथ गलत काम किया। तथ्य के इन साक्षियों के कथन का समर्थन पी०डब्लू०–5 डा० जूही वार्ष्णेय एवं पी०डब्लू०–8 डा० शशिकान्त गुप्ता के बयान से नहीं होता है। दोनों चिकित्सकों ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता के गुप्तांग पर कोर्इ चोट का निशान नहीं था, उसकी झिल्ली टूटी हुर्इ नहीं थी आैर पीड़िता के गुप्तांग से कोर्इ खून या डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, वैजाइनल स्लाइड में शुक्राणु नहीं पाये गये आैर अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट में कोर्इ गर्भ नहीं पाया गया। पीडिता ने अपनी गवाही में संजीत द्वारा छेडछाड करने के बाद बलात्कार करने का कथन किया है, जिसका समर्थन मीरा देवी ने किया है, परन्तु चिकित्सक साक्ष्य के अनुसार उसके कथन का समर्थन नहीं हो रहा है।

66– तथ्य के साक्षियों ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि वादी नरेन्द्र आैर अभियुक्त संजीत दोनों आलू की खुदार्इ को लेकर ठेकेदारी व मजदूरी करते थे। बचाव साक्षियों ने कहा कि वादी के साढ़ू राजाराम व संजीत मिलकर आलू का ठेका लेते थे। राजाराम व संजीत के साथ लेन–देन था व उसके घर में संजीत का आना जाना था, जिसका खण्डन अभियोजन ने नहीं किया है, बल्कि पीड़िता ने समर्थन किया है। साक्षी मीरा देवी के अनुसार घटना के चक्षुदर्शी अन्य स्वतंत्र साक्षीगण पूजा, निर्मला, रजनी व रज्जो मौके पर थे, परन्तु अभियोजन ने किसी को भी साक्षी नहीं बनाया है आैर जो भी साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराये गये हैं वह स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं, बल्कि हितबद्ध साक्षी हैं, जो पीड़िता के पिता, स्वयं पीड़िता एवं उसकी सगी मौसी हैं। गाँव के या

अन्य किसी स्वतन्त्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है, जबकि घटना शाम चार बजे की है। विवेचक ने लचर/लापरवाही पूर्ण विवेचना की है। पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर मेरा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त संजीत उर्फ संजीव कुमार उपरोक्त अपराध के आरोपों में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संजीत उर्फ संजीव कुमार को धारा–354क भा०दं०सं० व धारा–7/8 पोक्सो अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। यदि अभियुक्त किसी अन्य मामले में निरूद्ध न हो, तो उसे अविलम्ब रिहा कर दिया जाये। अभियुक्त का रिहा्ई आदेश तत्काल जिला कारागार, फिरोजाबाद भेजा जाये।

अभियुक्त धारा–437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 25,000/– का स्वबन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे।

दिनांकः 23–08–2022

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश, (पोक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 23–08–2022

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश, (पोक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।